

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप - 1

निर्वाचन की सूचना

(नियम 3 देखिये)

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि :-

- (1) 14-मण्डला (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन होना है।
- (2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या श्रीमती सुलेखा सुदेश उइके सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) 09 अप्रैल 2019 से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के बीच न्यायालय कलेक्टर, मण्डला में परिदत्त किये जा सकेंगे,
- (3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किये जा सकेंगे,
- (4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए न्यायालय कलेक्टर, मण्डला में 10 अप्रैल 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे लिए जायेंगे ;
- (5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में 12 अप्रैल 2019 को 3.00 बजे अपराह्न के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी;
- (6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में 29 अप्रैल 2019 को पूर्वाह्न 7.00 बजे और अपराह्न 6.00 बजे के बीच मतदान होगा।

स्थान : मण्डला

तारीख : 02 अप्रैल 2019

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)  
रिटर्निंग आफिसर,  
14-मण्डला (अ.ज.जा.)  
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
जिला-मण्डला (म.प्र.)